न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 127/2023

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. सिरियादेवी पत्नी दलाराम 2. दाखूदेवी पत्नी पुरखाराम 3. पूरो देवी पत्नी लाधूराम 4. मधुदेवी पत्नी जसुराम 5. गिरधारीराम पुत्र पुसाराम 6. हडमानराम पुत्र चैनाराम जातियान– जाट निवासीगण– ग्राम ओकातिया बेरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहीसलदार पचपदरा, जिला बालोतरा 2. मोहनीदेवी पत्नी स्व. हीराराम 3. मानाराम पुत्र भैराराम 4. दलाराम पुत्र पदमाराम 5. पप्पूराम पुत्र डूंगराराम 6. बाबूराम पुत्र चुतराराम 7. पुरखाराम पुत्र गोकलाराम 8. लिखाराम पुत्र गुणेशाराम जातिजाट, निवासी–बेरडो की ढाणी तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 20.06.2018 जो उपखंड अधिकारी बालोतरा, जिला बालोतरा के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 665/2018 अनवान तहसीलदार पचपदरा बनाम भैराराम वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.सं.एक की ओर से।
3. श्री डी0के0 गोदारा, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 ता 8 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 12 फरवरी, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 130, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ओकातिया बेरा के खेत खसरा संख्या 836/507, 842/507, 843/507, 844/507, 845/507, 846/507, 265,266, 835/507 के रकबा भूमि में मौके पर चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते पाये गये है परन्तु उक्त रास्ते का राजस्व रेकर्ड व जमाबन्दी में अंकन

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

नहीं है। अतः राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के क्रम में उक्त रास्ते की भूमि विप्रार्थीगणों की खातेदारी में रखते हुए राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने हेतु निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात उल्लेखित प्रकरण में विप्रार्थीगणों के द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं का अंकन करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2018 के द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उल्लेखित खसरान भूमि का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ते सम्बन्धी तरमीम करने के आदेश पारित कर दिया। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में धारा 05 म्याद अधिनियम एवं अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत पेश प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि अधीस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है एवं उन्हें कोई सुनवाई का अवसर नोटिस नहीं दिया गया। अपीलार्थीगण ग्राम ओकातिया बेरा के ख0सं0 507 व 265 का रेकर्डेड खातेदार है एवं अपीलाधीन आदेश में उक्त खसरान भूमि के सम्बन्ध में पारित आदेश से प्रभावित व पीडित पक्षकार है अतः अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। साथ ही अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 15.9.2023 को अपने खातेदारी भूमि के ख0सं0 889/507 व 896/507 की जमाबन्दी की नकले ली तब उनको अपीलाधीन आदेश की जानकारी एवं भूमि को रास्ते में दर्ज होने का ज्ञान हुआ। तब अपीलान्ट के द्वारा अपीलाधीन आदेश व अन्य रेकार्ड की नकले दिनांक 15.09.2023 को प्राप्त की है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जावें। रेस्पोडेन्टस के अधिवक्तागण के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करने बाबत विरोध प्रकट किया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपील पेश करने हेतु अनुमति प्रार्थनापत्र एवं म्याद प्रार्थना पत्र में प्रकट किये गये तथ्यों के आधार पर न्यायहित में अपीलान्ट को अपील पेश करने की अनुमति दी जाती है तथा अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि रेस्पो0संख्या एक के द्वारा ग्राम ओकातिया बेरा के खेत खसरा संख्या 836/507, 842/507, 843/507, व अन्य खसरान के सम्बन्ध में कदीमी रास्ते का प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 में पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

खातेदारों को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही स्वीकार कर दिया है तथा उनकी खातेदारी भूमियों में से रास्ते का आदेश पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण दिनांक 20.06.2018 को पेश हुआ तथा तहसीलदार पचपदरा की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कैम्प कोर्ट ग्राम ओकातिंया बेरा में उसी दिनांक 210.06.2018 को यह मानते हुए की किसी ने कोई आपत्ति होना जाहिर नहीं किया, के आधार पर स्वीकार कर दिया गया जबकि प्रकरण को दर्ज करने के उपरान्त प्रभावित पक्षकारान को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना होता है। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित पारित होने निरस्त होने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्टस मूल खसरा संख्या 507 के रेकर्डेड खातेदार है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को किसी भी प्रकार का सुनवाई का नोटिस नहीं दिया है और न ही कोई सहमति ली गई। इसके अतिरिक्त राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 व 136 में कृषि भूमि की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को नहीं है। किसी खातेदार के खातेदारी भूमि में से रास्ते सम्बन्धी आदेश केवल धारा 251–ए राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत ही पारित किया जा सकता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश जो मात्र पटवारी हल्का की ओर से बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है जबकि अपीलार्थीगण द्वारा इस बाबत कोई सहमति नहीं दी गई। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर व बिना सुनवाई किये पारित किया गया है जो निरस्त करने योग्य है। तहसीलदार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शे में ख0सं0 865/507, 265, 266 के खेतों को चिरते हुए उनके टूकडे करते हुए वहॉ रास्ता बताकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि कानूनन एक खसरे को दो भागों में विभक्त कर सार्वजनिक रास्ता नहीं दिया जा सकता, आम सहमति से खेतों की माठ–माठ पर रास्ता दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिस स्थान पर रास्ता काटा गया है वहॉ पर कोई रास्ता पूर्व में न तो विध्यमान था और न ही वर्तमान में है। अधीनस्थ न्यायालय को भूमि की किस्म परिवर्तन करने का भी कोई अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के द्वारा रास्ता घोषित किया है उसको निरस्त किया जावे।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त पेश किये। यथा आरआरटी 2008 पेज 11, आरआरटी 2015(1), पेज–10, आरआरटी 2022(2) पेज 1284।

प्रत्युतर में रेस्पो0सं0 एक की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि तहसीलदार पचपदरा के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम ओकातिया बेरा की सरहद में उल्लेखित खेत खसरान में सार्वजनिक रास्ता चालू पाये जाने पर उक्त रास्ते का अंकन/तरमीम राजस्व रेकर्ड में किया जावे जिसके आधार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0सं0 2 ता 8 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि ग्राम ओकातिया बेरा के खेत खसरा संख्या 836/507, 842/507, 843/507, 844/507, 845/507, 846/507, 265,266, 835/507 के रकबा भूमि में मौके पर चालू सार्वजनिक रास्ते का राजस्व रेकर्ड में रास्ते अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार पचपदरा की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जो ग्राम ओकातिया के कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुआ तब उल्लेखित खसरान के तत्कालीन खातेदारान के द्वारा अपनी–अपनी सहमति प्रदान की गई थी, किसी ने तत्समय में कोई आपत्ति नहीं की। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए यह अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण के द्वारा यह अपील लम्बे समय बाद म्याद बाहर पेश की गई है जिसे अन्दर म्याद शुमार करने हेतु कोई ठोस आधार अंकित नहीं किया गया है।

रेस्पो0सं0 2 ता 8 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उक्त भूमि में रास्ता घोषित होने के पश्चात मौके पर ग्रेवल सडक बनाई जा चुकी है तथा भविष्य में राजकीय व्यय से और पक्की सडक बनाया जाना प्रस्तावित हो रखा है। तत्समय में उक्त अपीलाधीन आदेश पारित हुआ था तब किसी खातेदार को कोई आपत्ति नहीं रही थी। मात्र इन अपीलार्थीगण के द्वारा वर्ष 2023 में जाकर आपत्ति की गई है अन्य किसी खातेदार की कोई आपत्ति नहीं रही है। अतः उल्लेखित रास्ते की महत्वतता को देखते हुए अपीलार्थीगण के द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज की जावे तथा अपीलाधीन आदेश को बहाल रखा जावें।

हमने पक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा ग्राम ओकातिया बेरा के विभिन्न खसरान भूमि में से चल रहे सार्वजनिक रास्ते का अंकन राजस्व रेकर्ड में करवाने बाबत प्रकरण प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2018 को दर्ज किया गया तथा पत्रावली को कैम्प कोर्ट ग्राम ओकातिया बेरा मुख्यालय पर रखी जाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में किसी की कोई आपत्ति होना जाहिर नहीं करना अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उल्लेखित खसरान भूमि में चल रहे चालू सार्वजनिक रास्ते को राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रभावित खातेदारान की ऐसी कोई सहमति अथवा आपत्ति नहीं होने बाबत न तो दस्तावेज उपलब्ध है और न ही आदेशिका पर किसी के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान पाये गये है जिससे पारित किये गये अपीलाधीन आदेश को उचित ठहराया जा सकता हो। प्राकृतिक न्याय एवं नैसर्गिक के सिद्धान्त के अनुसार प्रभावित पक्षकार को उनके विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व विधि अनुसार सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को नहीं दिया गया है। इस स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा को प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलाधीन आदेश में अंकित अपीलार्थीगण के उल्लेखित खसरान भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः यथोचित आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलार्थीगण की यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा को प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलाधीन आदेश में अंकित अपीलार्थीगण के उल्लेखित खसरान भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्टगण को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः यथोचित आदेश पारितं करें। निर्णय आज दिनांक 12 फरवरी, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर